



Office of the Ranchi Municipal Corporation, Ranchi.

(Health Section)

Kutchery Road, Ranchi-834001

Ph no. (0651-2212674/2210495)

Expression of interest

short tender

Sealed tenders are invited from reputed private agency/ Organization for deployment of as per solid waste management rules 2016 & City Enforcement plan of RMC. Particulars are given below and tender will be received at the Health section, RMC, Ranchi :-


(a)	Name of Work	:	Expression of interest (EOI) for Implementation of City Enforcement plan through Security Agencies in RMC Area.
(b)	Cost of Bid Document	:	5000/- (five Thousand) Non Refundable. In terms of DD in favour of Municipal Commissioner, Ranchi Municipal Corporation, Ranchi
(C)	Earnest Money	:	1,00,000/- (One lakh Rs. only) In terms of DD in favour of Municipal Commissioner, Ranchi Municipal Corporation, Ranchi
(D)	Pre Bid Meeting	:	03.10.2017 at 11am in the chamber of Municipal Commissioner
(F)	Last date of receipt of tender fee and EMD.	:	09.10.2017 Upto 03.00 PM
(G)	Place of receipt of tender	:	Health Section, Ranchi Municipal Corporation, Ranchi
(H)	Date of opening of Technical Bid	:	09.10.2017 at 04.00 PM or there after.

Note: The website www.ranchimunicipal.com may be visited for detail information

Memo No. *541/Health Sec* / Ranchi, Dated *22.09.2017*

Copy to: Sri Amit Kumar, GIS Specialist, RMC for your kind information and necessary action.

[Signature]
Municipal Commissioner
RMC, Ranchi.



एक कदम स्वच्छता की ओर



Memo No. -----/ Ranchi, Dated -----

Copy to: Sri Rajesh Kumar, Programmer, RMC, Ranchi for your information and uploading the Request of Proposal on RMC Website.

19/09/17

[Signature]

[Signature]
Municipal Commissioner
RMC, Ranchi.


Memo No. -----/ Ranchi, Dated -----

Copy to: Add. Municipal Commissioner/ Asst. Municipal Commissioner/Chief Engineer/Asst. Public Health officer RMC for information & necessary action .

19/09/17

[Signature]

[Signature]
Municipal Commissioner
RMC, Ranchi.



एक कदम स्वच्छता की ओर



OFFICE OF THE RANCHI MUNICIPAL CORPORATION, RANCHI

(Health Section)

Kutchery Road, Ranchi-834001

E-mail id:- support@ranchimunicipal.com

Ref No: 541/Health Sec

Date: 22.07.2017

Notice Inviting. "Expression of Interest (EOI) for Implementation of City Enforcement Plan through Security Agencies in RMC Area"

Ranchi Municipal Corporation (RMC) has promulgated a City Enforcement Plan wherein an enforcement mechanism for levying of fines & other regulatory functions has been prepared. as per these rules, a schedule of fines, seizures and other activities are to be undertaken by the Ranchi Municipal Corporation.

In order to implement City Enforcement Plan strictly in all 55 wards of Ranchi city, the RMC has decided to invite "Expression of Interest from Security Agencies" to hire services of deployment of City Marshals from reputed private agencies / organizations to carry out its regulatory functions.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

**Municipal Commissioner
Ranchi Municipal Corporation**



1. Terms & Conditions

- 1.1 The bidder must be a reputed security agency registered with security board or such competent authority.
- 1.2 Agencies must have experience of minimum five years in this field of providing Security Services in Govt./Semi Govt./PSUs. All the experience document and valid license shall be submitted at the time of submission of EOI.
- 1.3 The bidder should not have been blacklisted by any PSUs/Central/State Government/Government local bodies.
- 1.4 The bidder should have valid Registration Certificate from ESIC, PF Authorities, Service-Ta, & Contract Labour Abolition Act, 1970 and liable for all payments under various Acts.
- 1.5 The bidder has to submit the documents in support of payment made by the firm against the ESI contribution and against PF contribution to RMC in every following month.
- 1.6 The bidder should have PAN CARD, Service Tax/VAT Registration from the concerned authority.
- 1.7 The bidder should have round the clock control room service (with telephone facility) in Ranchi along with quick response team to deal with emergency situations and also depute the Liaison Officer in the units and depots.
- 1.8 No accommodation for the Marshal deployed would be provided by the RMC. All facilities to the Marshal deployed shall be provided by the bidder such as neat and clean uniforms, stationery, torches & cell, lathis etc. at their own cost.
- 1.9 That the "Bidder" shall not engage any sub-bidder or transfer this contract to any other Contractor/person. In case any complaint is received and found true then its contract will be terminated after giving one month notice for which the decision of RMC shall be final.
- 1.10 No consortium proposals are allowed.
- 1.11 RMC reserves the right to cancel the request for Expression of Interest and/or invite afresh with or without amendments to the request for Expression of Interest, without assigning any reason. Information provided at this stage is indicative and RMC reserves the right to amend / any further details in the document.
- 1.12 The marshal deployed should meet all the norms of physical fitness certificate and the same should be submitted along with EOI.
- 1.13 The age of the Marshals should be between 25 to 40 years. Minimum height 5 ft. 6 inch. Minimum educational qualification 10th from a recognized Board. The Ex.Serviceman will be highly preferred as marshal. The physical test of marshals will be taken by RMC committee.
- 1.14 Minimum wages will be paid to the Marshal which will subject to revision by the state govt rule from time to time.

- 1.15 The services of Marshal would be required to work as per work timing 11.00 am to 7.00 pm. Each Marshalls are entiteled for one day leave in a week. But the agency has to formulate the deployment of marshalls in such a way so that the service should be uninterrupted. However work timing can be changed as per mutual concent depending upon the requirement
- 1.16 The clean-up Marshal shall have no criminal record and agencies shall be responsible to provide Police verification prior to deployment.
- 1.17 The bidder shall have Annual turnover of minimum Rs. 1 Crore during . 2013-14, 2014-15 and 2015-2016 or last three financial years updated turnover whichever is earlier.
- 1.18 All the documents of the proposal should be duly signed & stamped by authorized person with proper page numbering. Failing for same may lead to disqualification in selection process.
- 1.19 All disputes will be settled in Ranchi Court only.

2. Scope of Work

The following would be the scope of the work assignment to be discharged by these agencies:-

- 2.1 **Contract period:** - The period of the contract will be of duration of three year from the date of agreement which may be renewed further based on satisfactory performance.
- 2.2 **Regulation Enforcements:** They will have to detect errant citizens indulged in violation of infraction as per schedule I and also involve in spitting, urinating on the roads, throwing the garbage indiscriminately and outside the community bins and not following the "Solid Waste Management Rules 2016 " directives.
So In order to restrict these Violations City Marshalls have to check, report & collect fines for infractions/violations as per *City Enforcement Plan* in RMC area.
- 2.3 **Future Enforcement Activities:** The agency may also be given responsibility to enforce upcoming future regulation as and when notified by the state govt. like parking regulation etc.
- 2.4 The purpose is to collect the spot fine; however if defaulter resist or denies in payment then City Marshalls issued a challan in triplicate and submit one copy to RMC. RMC will aid the agency in getting the fine collected. Agency will be eligible for share in such collection as well as same rate as proposed in the agreement. But the prime responsibility of the agency is to collect fines and recover the challan amount from the citizen.

- 2.5 The agencies should have & operate their own vehicular transport facilities such as two wheelers and one four wheelers to be provided, to move in the field, at their own cost.
- 2.6 The agency has to form City Marshal Team of 51 people along with four supervisor (one supervisor for each zone) and one team leader who will lead the whole team. All will be selected by Physical Training Test conducted under RMC supervision. Agency will have to deploy four supervisor's zone wise and a team leader for complete team.
- 2.7 The collection will be done using online mechanism and handheld device provided by the RMC. But till successful run of online application paper receipt & Challan will be used in prescribed format as approved by RMC.
- 2.8 All collections will be deposited on daily basis in designated bank as approved by RMC.
- 2.9 Enforcement strategy and methodology will be proposed by the bidder including number of teams, action plan, focus area, shift management etc.
- 2.10 Identity card: - The agency shall provide "Identity cards" to City Marshals, as approved by RMC. And after completion of contract the identity cards of the clean-up marshal should be collected and destroyed in presence of RMC authority.
- 2.11 All the marshals shall be compulsorily be in complete uniform as approved by RMC and also prominently display their I-card. The marshal must maintain good behavior at all times during the work period.
- 2.12 The agency desirous to use high tech equipment will be permitted to do so.
- 2.13 The Personnel of these agencies will have normal tools and tackles like whistles, sticks and camera etc. They should make their own arrangement of safety while dealing with the notorious, antisocial people.
- 2.14 RMC reserves the rights to assign the detail responsibilities to the agency after selection.
- 2.15 RMC will help in making agency known to the public that it is authorized to collect spot fines on behalf of RMC
- 2.16 Necessary training and capacity building will have to be done of the city marshal prior to starting the work. In house training of city marshals shall be carried out by the agencies regarding knowledge of Byelaws, Personality Development and tackling challenges in field on regular at least ones in 3 months.
- 2.17 All the complaints regarding clean up Marshall will be addressed by complaint supervisor appointed by Security agency in Presence of RMC authority.

3. PAYMENT TO AGENCY

- 3.1 RMC will provide RS. 4000 per marshal, Rs.5000 per supervisor, Rs. 6000 for Team Leader each month till contract period as a financial assistance to the firm based on performance.
- 3.2 RMC will also share the revenue of total collected fine in a month with the selected agency as per quoted percentage rate in financial proposal.
- 3.3 The upper limit of revenue sharing should not exceed 60% in financial proposal otherwise the proposal will be considered as invalid proposal.
- 3.4 The Service Tax/ GST will be paid additionally to the agency as per prevailing rates for each invoice.
- 3.5 TDS will be deducted as per laws from each payment.
- 3.6 The payment to the agency will be done as per below mention slab

Slab No	Total Fine Collected for a month per marshal	%age rate of collected fines to be paid as fees to agency
Slab 1	Upto 10,000/-	As per quoted percentage rate (QPR)
Slab 2	10,000/- to 20,000/-	Slab 1 + $\frac{3}{4}$ of QPR for Slab 2
Slab 3	20,001/- to 30,000/-	Slab 1 + Slab 2 + $\frac{1}{2}$ of QPR
Slab 4	30,001/- to 40,000/-	Slab 1+Slab2+Slab3+ $\frac{1}{4}$ of QPR
Slab 5	Above 40,000/-	Slab 1+Slab2+Slab3+Slab4+ 5%of Slab5

4. SELECTION OF BIDDER

The bidder who fulfills & accept all the terms and conditions of bid, corrigendum (if any) and quoted lowest percentage sharing of collected fines for this work will be selected as successful bidder. However RMC reserves the right for negotiation on revenue sharing with successful bidder.

5. FEES, EMD & PERFORMANCE SECURITY

The non refundable tender fee of this proposal is Rs. 5000 and EMD Rs. 100000/- which should be paid in the form of DD payable to Municipal Commissioner, Ranchi Municipal Corporation along with proposal. The EMD will be refundable. The agencies shall deposit an amount of minimum Rs.100000/- as a security deposit in the form of Bank Guarantee after the award of work.

6. PENALTIES

- 4.1) Non deployment of marshals as per schedule- Rs. 100 /- per day per ward.
- 4.2) Marshals not wearing prescribed uniform- Rs. 50/- per marshal per day.
- 4.3) Fails to submit collected amount on daily basis to designated bank then Rs. 5000/ per incident and legal action as per provisions.
- 4.4) Non submission of report of fine & recovery collection to RMC of respective ward on every days basis shall be fined Rs.500/- per day.

5. TERMINATION OF CONTRACT

The contract of engaged firm/agency will be terminated, as decided by RMC under any or all of following situations:-

- If the performance of the engaged agency is found to be non-satisfactory and fall below benchmarks set up by RMC;
- If the engaged agency resorts to unfair practices in collection & recovery processes;
- Provides false information consciously regarding collection by its staff;

The engaged agency will be given a warning, in writing, and asked to improve performance. If performance is not improved within three months, RMC can replace such engaged agency after serving a written notice for termination of contract.

The contract can be terminated by written notice from either side in a period of one Month. However, during the currency of contract all parties shall discharge their due obligations. RMC reserves the right to cancel the contract due to non-performance by the agency under the contract and/or agency not abiding to the RMC instructions.

6. DEPLOYMENT PLAN OF CITY MARSHALS

S.NO	WARD	TOTAL NO. OF CITY MARSHALS
1	WARD 1 & WARD 2	1
2	WARD 3 & WARD 4	1
3	WARD 5, WARD 6 & WARD 7	2
4	WARD 8 & WARD 9	1
5	WARD 10	1
6	WARD 11	1
7	WARD 12 & WARD 49	1
8	WARD 13	1
9	WARD 14 & WARD 48	2
10	WARD 15	2
11	WARD 16 & WARD 17	1
12	WARD 18	1
13	WARD 19	2
14	WARD 20	1
15	WARD 21	1
16	WARD 22	2
17	WARD 23	2
18	WARD 23	2
19	WARD 24	2
20	WARD 25 & WARD 26	1
21	WARD 27	2
22	WARD 28 & WARD 29	1
23	WARD 30	1
24	WARD 31	1
25	WARD 32	1
26	WARD 33 & WARD 34	1
27	WARD 35	1
28	WARD 36	1
29	WARD 37 & WARD 38	1
30	WARD 39 & WARD 40	1
31	WARD 41 & WARD 42	1
32	WARD 43	1
33	WARD 44	1
34	WARD 45	2
35	WARD 46	2
36	WARD 47	1
37	WARD 50 & WARD 51	1
38	WARD 52	2
39	WARD 53	1
40	WARD 54	1

41	WARD 55	1
	TOTAL	51

ZONES	WARDS COVERED	TOTAL NO. OF MARSHALS SUPERVISOR
ZONE 1	1,2,28 to 38	1
ZONE 2	3 to 12, 19,20, 21& 49	1
ZONE 3	13 to 18, 22 to 27 & 48	1
ZONE 4	39 to 47 & 50 to 55	1

- One Team Leader will head above mentioned team.
- The deployment plan may change with mutual consent as per requirements.

SCHEDULE - I

MARKET SECTION

क्रम सं०	झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम विभिन्न धाराओं के उल्लंघन	झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम की धारा	दण्ड	वसूली की विधि
1	यदि कोई व्यक्ति/संस्था नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के पोस्टर, होर्डिंग, फ्रेम, पोस्ट, किओस्क, रचना, वाहन पर विज्ञापन, नियोन साईन या स्काई साईन आदि का प्रदर्शन करता है।	धारा 600	रु० 25,000/- तक एवं रु० 100/- प्रतिदिन के अवज्ञा के लिए	चालान/रसीद
2	यदि किसी व्यक्ति द्वारा निगम बिना विज्ञापन टैक्स दिए किसी तरह का विज्ञापन लगाया/रखा/प्रदर्शित किया जाता है तब विज्ञापन दर के पाँच गुना तक दण्ड लिया जा सकता है।	धारा 602	विधिपूर्वक देय टैक्स का कम-से-कम 2 गुणा अधिकतम 5 गुणा तक	चालान/रसीद
3	किसी भी सरकारी कार्य हेतु किए गए रेखांकन को, गड़े खम्भें या खूँटी या बल्ला को उखाड़ने या हटाने या विकृत करने या नष्ट करता है।	धारा 245	रु० 1,000/-	स्पॉट फाईन
4	कोई व्यक्ति जो बिक्री के लिए नगरपालिका द्वारा नियत स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर पशुओं का वध करता है या बिना अनुज्ञप्ति के मांस, मछली, कुक्कुट का बिक्री करता है।	धारा 310	रु० 2,000/-	स्पॉट फाईन
5	यदि कोई व्यक्ति नगर आयुक्त के पूर्वानुमति के बिना किसी भी नगरपालिका बाजार में कोई वस्तु या पशु बेचता है।	धारा 312	रु० 200/-	स्पॉट फाईन
6	कोई व्यक्ति जो किसी भूमि अथवा भवन का स्वामी हो जानबुझकर या प्रमादवश नगर आयुक्त अथवा कार्यपालक पदाधिकारी के अनुमति के बिना उसे बाजार के रूप में उपयोग की अनुमति देता है।	धारा 313	रु० 500/- एवं अपराध जारी रहने पर रु० 100/- प्रतिदिन	स्पॉट फाईन
7	यदि कोई व्यक्ति निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त या कार्यपालक के पूर्वानुमति के बिना किसी परिसर या उपयोग स्थान पर गृह, वाहन या	धारा 317	रु० 2,000/- एवं रु० 50/- प्रतिदिन अवज्ञा के लिए	स्पॉट फाईन

	कॉफी दुकान, रेस्टोरेंट, भोजन कक्ष, मानव खाद्य या पेय पदार्थ के किसी सामग्री को व्यापार के प्रयोजनार्थ तैयार करने अथवा विक्री करने या होटल या वासा के रूप में उपयोग करता है।			
8	यदि कोई व्यक्ति निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त या कार्य० पदा० के पूर्वानुमति के लिए किसी परिसर का विवाह भवन स्थल/समारोह स्थल/लॉज/हॉस्टल /अतिथिघाला आदि के लिए करता है या करने की अनुमति देता है।	धारा 600 के अन्तर्गत निर्गत आदेश	रु० 25,000/-	स्पॉट फाईन
9	यदि कोई व्यक्ति नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी के पूर्वानुमति के बिना किसी परिसर का उपयोग दूध देनेवाले पशुओं की शाला के रूप में अथवा दुधारू पशु तथा मानव खाद्य के लिए अभिप्रेत पशुओं के अतिरिक्त घोड़ा, ऊँट, गधा आदि के रखने के लिए करता है।	धारा 319	रु० 2,000/- एवं अवज्ञा पर रु० 50/- प्रतिदिन	चालान/रसीद
10	किसी भवन, स्मारक, खम्भा, दीवाल, चहारदिवारी वृक्ष अथवा अन्य सार्वजनिक स्थान पर कोई इष्टेहार सूचना या अन्य दस्तावेज चिपकायेगा या उन पर कुछ लिखेगा या कोई निशान बनायेगा।	धारा 346	रु० 5,000/- तक	स्पॉट फाईन
11	यदि कोई व्यक्ति किसी भूमि या भवन का स्वामी होते हुए जानबूझकर या लापरवाही से बिना नगर आयुक्त या कार्य० पदा० के अनुज्ञप्ति के उसे बाजार के रूप में प्रयोग होने देता है, प्रत्येक ऐसे अपराध के लिए।	धारा 463	रु० 10,000/- तक	चालान/रसीद
12	कोई व्यक्ति नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी से प्राप्त अनुज्ञप्ति के बिना अथवा उसके अनुरूप से अन्यथा मानव खाद्य के लिए आयायित व्यापार करनेवाला कसाई, मत्स्य व्यापारी कुक्कुटवाला, माँस आयातकर्ता का व्यापार करता है या विक्री हेतु किसी स्थान का उपयोग करता है।	धारा 465	रु० 2,000/- एवं अवज्ञा पर रु० 50/- प्रतिदिन	चालान/रसीद
13	जब धारा 455 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए या अस्तबल या पशुघाला या गोघाला के रूप में किसी व्यक्ति द्वारा किसी परिसर का	धारा 603	रु० 5,000/- तक	चालान/रसीद

	उपयोग किया जाता है।			
--	---------------------	--	--	--

WATER SUPPLY SECTION

14	यदि कोई व्यक्ति नगर आयुक्त या कार्यो पदाो की लिखित पूर्वानुमति के बिना डीप बोरिंग (6"/8") खोदेगा या बनवायेगा।	धारा 209 के अन्तर्गत निर्गत कार्यालय आदेश	रु0 1,00,000/- रिग मशीन मालिक/ऑपरेटर एवं रु0 25,000/- गृहस्वामी	चालान/रसीद
15	यदि कोई व्यक्ति नगरपालिका के या उसके नियंत्रण के किसी जल संकर्म/जलस्त्रोतो या नदियों जहाँ से ऐसा जल आपूर्ति होता है, अवैध रूप से जल प्लावित करता है या निकालता है या दिषान्तरित करता है या जल की बरबादी करता है या सेवा नल या आपूर्ति नल से मोटर लगाकर जल निकासी करता है।	धारा 208	रु0 10,000/- तक	चालान/रसीद
16	नगरपालिका से संबंधित ताले, कौक, वॉल्व पाईप, मीटर या अन्य कार्य या उपकरण को जानबूझकर या लापरवाही से तोड़ता है या क्षतिग्रस्त करता है या बिना अनुमति खोलता है या बंद करता है या कोई हस्तक्षेप करता है।	धारा 245	रु0 1,000/-	स्पॉट फाईन
17	जलापूर्ति संकर्म में जल लेने के लिए अविधिक ढंग से जल की धारा से बाधा उत्पन्न करता है या दिषा परिवर्तन करता है।	धारा 245	रु0 1,000/-	स्पॉट फाईन
18	किसी जल संकर्म में या उसके ऊपर स्नान करता है अथवा उसमें किसी पशु को धोता है या फेंकता है या कूड़ा करकट, गंदगी कचड़ा फेंकता है अथवा उसमें कोई वस्तु, कपड़ा, ऊन, पशु का चमड़ा धोता है अथवा किसी भी तरह से जल प्रदूषित करता है।	धारा 245	रु0 1,000/-	स्पॉट फाईन
19	यदि कोई व्यक्ति जान-बूझकर या उपेक्षा से किसी मीटर (जल) को क्षति पहुँचाता है।	धारा 246	रु0 10,000/-	चालान/रसीद
20	नगरपालिका के मल जल के प्रवाह या प्रक्षालन में गैरकानूनी ढंग से बाधा डालता है या दिषा परिवर्तन करता है।	धारा 245	रु0 1,000/-	स्पॉट फाईन

LIGHT SECTION

21	नगरपालिका के विद्युत संचार मार्ग को भंग या क्षतिग्रस्त करता है।	धारा 245	रु0 1,000/-	स्पॉट फाईन
----	---	----------	-------------	------------

22	यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर या लापरवाही या दुर्घटनावश नगरपालिका में निहित किसी मार्ग बत्ती या नगरपालिका में निहित कोई सम्पत्ति को तोड़ता है या क्षतिग्रस्त करता है।	धारा 306 एवं धारा 600	रु० 25,000/- तक एवं अवज्ञा की दशा में रु० 100/- प्रतिदिन अधिकतम रु० 5,000/- तक	चालान/रसीद
----	--	-----------------------	--	------------

HEALTH SECTION

23	नगरपालिका के नाली या मोरी में प्लास्टिक के थैले एवं डिब्बे सहित कोई पदार्थ अथवा डेयरी, खोबार और मुर्गीखाना के अपशिष्ट को फेंकता है।	धारा 245	रु० 1,000/-	स्पॉट फाइन
24.	नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निर्धारित रिति के उल्लंघन के लिए दण्ड	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत		
(i)	आवासीय भवनों के लिए।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु० 100/-	स्पॉट फाइन
(ii)	दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु० 1000/-	स्पॉट फाइन
(iii)	रेस्तरा मालिकों को खुला में कचरा डालने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु० 2000/-	स्पॉट फाइन
(iv)	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट	रु० 2000/-	स्पॉट फाइन

		प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत		
(v)	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 5000/-	स्पॉट फाइन
(vi)	हलवाई, चाट, फास्ट फुड, आईस्क्रीम, गन्ने का रस एवं अन्य जूस, सब्जी एवं फ्रुट आदि ठेला व्यवसायियों पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 100/-	स्पॉट फाइन
(vii)	सार्वजनिक स्थान पर पेशाब करनेवालों पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 100/-	स्पॉट फाइन
(viii)	गोबर सार्वजनिक स्थानों पर डालने पर	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 1000/-	स्पॉट फाइन
(ix)	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री, ईंट, सीमेन्ट, लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 1000/-	स्पॉट फाइन
(x)	निजी ट्रैक्टरों द्वारा वजरी, कचरा, मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर निगम की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखारने व गन्दगी फैलाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016	रु0 1000/-	स्पॉट फाइन

		के अन्तर्गत		
(xi)	सरकारी भवनों, चौराहों एवं शहरी चहारदीवारी की दीवारों एवं उनके गेटों पर निजी वाणिज्यिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें, ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने एवं बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से। प्रत्येक कृत्य पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 2000/-	स्पॉट फाईन
(xii)	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 5000/-	स्पॉट फाईन
(xiii)	अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 5000/-	स्पॉट फाईन
(xiv)	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नहीं लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 5000/-	स्पॉट फाईन
(xv)	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसायियों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नहीं रखने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 2000/-	स्पॉट फाईन
(xvi)	दुकानदार अथवा ठेला व्यवसायियों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर एवं साईकिल रिपेयरिंग कर आयल मिट्टी एवं पानी फैलाकर गन्दगी करने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 1000/-	स्पॉट फाईन

		के अन्तर्गत		
(xvii)	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गए जानवरों की हड्डियाँ, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क/आम रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 2000/-	स्पॉट फाईन
(xviii)	खाली, सरकारी जमीन पर आम रास्ता, सड़क एवं मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊँट, गधा, घोड़े, सुअर इत्यादि पालतु जानवरों से गन्दगी फैलाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवा शुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 500/-	स्पॉट फाईन
(xix)	शादी/विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 5000/-	स्पॉट फाईन
(xx)	आम रास्ता, सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले आम मांस-मछली पकाने एवं अंश सड़क पर डालने व गन्दगी फैलाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 2000/-	स्पॉट फाईन
(xxi)	सार्वजनिक स्थान, जमीन एवं सड़क के किनारे बैठकर सब्जियां बेचकर छिलके एवं अंश सड़क पर डालने एवं गन्दगी फैलाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 100/-	स्पॉट फाईन
(xxii)	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता एवं सड़क पर गन्दगी, बाल इत्यादि डालने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 100/-	स्पॉट फाईन

(xxiii)	दुकानदारों अथवा व्यवसायियों द्वारा आम रास्ता, सड़क अथवा दुकानों के सामने की खाली, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 5000/-	स्पॉट फाईन
(xxiv)	आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय, ढाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 5000/-	स्पॉट फाईन
(xxv)	प्राइवेट अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, दवाखाना इत्यादि आम रास्ता, सड़क, फुटपाथ पर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर।	अध्याय 27 एवं झारखण्ड राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाशुल्क नियमावली 2016 के अन्तर्गत	रु0 2000/-	स्पॉट फाईन
25	यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा आदेश के तहत किसी नदी या झील, तालाब, कुण्ड, झरना, हौज, नलिका स्तम्भ नल, पर स्नान या प्रक्षालन हेतु प्रतिबंधित किया गया हो और उसके उल्लंघन पर।	धारा 338	रु0 5,000/- तक	चालान/रसीद
(i)	किसी पशु, वनस्पति अथवा खनिज जिससे जल स्रोत बदबूदार अथवा प्रदूषित होने की संभावना हो किसी तालाब, कुण्ड, नदी, आदि में धोने में प्रतिबंधित किया गया हो और उसके उल्लंघन पर।	धारा 338	रु0 5,000/- तक	चालान/रसीद
(ii)	सांसर्गिक या संक्रामक रोग से पीड़ित किसी व्यक्ति को झील, तालाब, कुण्ड, झरना, हौज, नदी या कुँआ में स्नान करने प्रतिबंधित किया गया हो और उसके उल्लंघन पर।	धारा 338	रु0 5,000/- तक	चालान/रसीद
(iii)	किसी विनिर्माण या व्यापार से जल स्रोत, तालाब, झील, कुण्ड, नदी आदि से प्रदूषित होने पर।	धारा 338	रु0 5,000/- तक	चालान/रसीद
(iv)	घोवियों को अपने पेष के अनुरण में सूचना द्वारा प्रतिबंधित किया गया हो और उसके उल्लंघन पर।	धारा 338	रु0 5,000/- तक	चालान/रसीद

26	यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी जलसरणी में कोई ठोस या द्रव्य मल जल पदार्थ या किसी विनिर्माण प्रक्रिया से उत्पन्न कोई विषाक्त, प्रदूषित द्रव्य या कोई ठोस अपशिष्ट, कुड़ा-करकट, राख, सड़ा ठोस पदार्थ, डालने या बहाने पर।	धारा 340	रु० 10,000/- एवं अवज्ञा पर रु० 500/- प्रतिदिन	चालान/रसीद
27	सार्वजनिक स्थान को गंदा करेगा।	धारा 346	रु० 5,000/- तक	स्पॉट फाइन
28	नगर आयुक्त या कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सूचना के माध्यम से किसी मार्ग से कोई कूड़ा-करकट, गंदगी या प्रदूषित एवं बदबूदार पदार्थ ले जाने की मनाही के बावजूद ले जाया जाता है।	धारा 346	रु० 5,000/- तक	स्पॉट फाइन
29	किसी शव को ऐसे किसी स्थान पर जिसके प्रयोजनार्थ अनुज्ञा न दी गई हो पर गाड़ता है या जलाता है।	धारा 346	रु० 5,000/- तक	स्पॉट फाइन
30	ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करता है।	धारा 346	रु० 5,000/- तक	स्पॉट फाइन
31	वायु प्रदूषण नियंत्रण आदेश का उल्लंघन करता है।	धारा 346	रु० 5,000/- तक	स्पॉट फाइन
32	यदि नगर आयुक्त या कार्यपालक पदा० के मत में	धारा 359 एवं धारा 600	रु० 5,000/- एवं अवज्ञा पर रु० 200/- प्रतिदिन	चालान/रसीद
33	कोई कुण्ड, खाई, खान, छिद्र, उल्खनन, टंकी, कुआँ, तालाब, नाली, जलसरणी या जल का कोई संग्रह या	धारा 359 एवं धारा 600	रु० 5,000/- एवं अवज्ञा पर रु० 200/- प्रतिदिन	चालान/रसीद
34	कोई कुण्ड या जल के लिए अन्य आधान चाहे भवन के भीतर या बाहर हो या	धारा 359 एवं धारा 600	रु० 5,000/- एवं अवज्ञा पर रु० 200/- प्रतिदिन	चालान/रसीद
35	कोई भूमि जिस पर जल जमा होता हो तथा किसी भवन से जो निवास गृह के रूप में प्रयुक्त होता हो से एक सौ गज की दूरी पर अवस्थित मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में होना संभाव्य है और नगर आयुक्त या कार्यपालक पदा० द्वारा लिखित सूचना के बाद भी भरा, ढका या हटाया नहीं गया हो।	धारा 359 एवं धारा 600	रु० 5,000/- एवं अवज्ञा पर रु० 200/- प्रतिदिन	चालान/रसीद
36	यदि कोई व्यक्ति किसी मृत पशु के शव को निर्दिष्ट या चिह्नित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र निस्तारण करता है या निस्तारण संबंधी आदेश का उल्लंघन करता	धारा 376	रु० 1,000/- तक	चालान/रसीद

है तो				
-------	--	--	--	--

ENGINEERING SECTION

37	कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त या कार्यो पदाो की लिखित पूर्वानुमति के बिना किसी वृक्ष को काटेगा या किसी भवन या उसके भाग को निर्मित करेगा न ढहायेगा अथवा न भवन के बाहरी भाग में परिवर्तन या मरम्मत करायेगा जहाँ ऐसा कार्य अवरोध खतरा या क्षोभ या मार्ग का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति के लिए अवरोध जोखिम या नाराजगी पैदा करनेवाला हो।	धारा 337	रु० 5,000/- एवं अवज्ञा पर रु० 200/- प्रतिदिन	स्पॉट फाईन
38	नगरपालिका की किसी सम्पत्ति जैसे मार्ग, पगडण्डी या पार्क या अतिक्रमण करेगा या अवरोध पैदा करेगा।	धारा 606	रु० 5,000/- तक	चालान/रसीद

TRANSPORT CELL

39	सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना वाहन अथवा पैदल चलनेवालों के आवागमन में बाधा डालता हो।	धारा 306 एवं धारा 600	रु० 5,000/- तक	स्पॉट फाईन
40	अवैध पार्किंग	प्रस्तावित पार्किंग रेगुलेशन के अन्तर्गत	दो पहिया रु० 200/- तीन पहिया रु० 500/- चार पहिया रु० 700/- छः पहिया एवं ज्यादा रु० 2000/- से रु० 5000/- तक	स्पॉट फाईन
41	यदि अवैध पार्किंग दण्ड के बाद भी जारी रहती है तब		दो पहिया रु० 50/- प्रति घंटा तीन पहिया रु० 100/- प्रति घंटा चार पहिया रु० 150/- प्रति घंटा छः पहिया एवं ज्यादा रु० 500/- प्रति घंटा	स्पॉट फाईन
42	ई-रिक्शा एवं ऑटो रिक्शा के रूट उल्लंघन पर	कार्यालय आदेश धारा 412 के अन्तर्गत	रु० 25,000/- तक	स्पॉट फाईन

GENERAL SECTION

43	यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम की किसी धारा, उप धारा, खण्ड, परन्तु या किसी अन्य उपबन्ध का या विधिपूर्वक दी गई किसी अध्यक्षता या कथित धारा, उपधारा या उपबन्ध के तहत दिए गए किसी आदेश के उल्लंघन के लिए।	धारा 600	रु० 25,000/- तक	चालान/रसीद
44	नगरपालिका की किसी सम्पत्ति को यदि कोई व्यक्ति किसी तरह की क्षति पहुंचाता है तब	धारा 605	रु० 5,000/- तक	चालान/रसीद

Note: Fines in which only the upper limit is mentioned, 50% of the amount will be waived of only when it ll be submitted within 14 days from the date of generation of challan.

Schedule – II

S.no	Descriptions	Yes	No	If yes for documents proof the Regn. No. & validity of licence
1	Self attested one recent passport size Photograph(s) of the authorized person(s) of the firm/agency with name, designation, Office/Residential address and office Telephone numbers.			
2	Self attested copy of PAN No. card Under Income Tax Act.			
3	Self attested copy of Service Tax Registration Number.			
4	Self attested copy of valid Registration No.of the Agency/Firm.			
5	Self attested copy of valid Provident Fund Registration Number.			

6	Self attested copy of valid ESI Registration Number.			
7	Self attested copy of valid Licence and Number under Contract Labour Act and under any other Act/Rules.			
8	Proof of Average Annual turnover.			
9	Proof of experience of five years of providing security services in reputed PSUs/Central/State Govt./Govt. local Bodies.			
10	Undertaking that bidder should not have been blacklisted by any PSUs/Central/State Govt./Govt. local bodies.			
11	Proof of sufficient strength of manpower.			
12	Proof of property details of the owner/partner/establishment.			

Schedule - III

COMPANY/FIRM DETAILS

S. No	Particulars	Details to be furnished
Details of the Bidder (firm/company)		
1.	Name	
2.	Address	
3.	Telephone	Fax
4.	E-mail	Website
Details of Authorized person		
5.	Name	
6.	Address	
7.	Telephone	E-mail
Information about the company		
8.	Status of company (Public Ltd. / Pvt. Ltd.)	
9.	Details of Registration of firm/company (Provide Ref e.g. ROC Ref #) (enclose the necessary documentary proof)	Date
10	Number of professionals	
11	Locations and addresses of offices	
12	Service Tax Registration Number	
13	Enclose Latest STCC	
14	Services provided by the company	

SCHEDULE - IV

To,
The Municipal Commissioner,
Ranchi Municipal Corporation,
Kutchery, Ranchi,

Sub:- Implementation of City Enforcement Plan in Ranchi City

Sir,

I/We have read all the Terms & Conditions as stipulated in the above Expression of Interest and accepted the same.

Yours faithfully,

Signature of the Authorised Signatory/ Signatories

(Office Stamp & Telephone No. if any)

SCHEDULE - V

(COMMERCIAL PROPOSAL)

S.No	Description of Services	Inclusive all taxes	
		(Percentage in figure)	(Percentage In words)
1	Total fee in percentage against the total revenue collection monthly.		